न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– विनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 108 / 2024 दायर दिनांक 08.08.2024

उनवान

1. नारायणसिंह पि. दुल्हेसिंह जाति सौंधिया नि. कोलीखेड़ा तहसील सुनेल
2. सुल्तानसिंह पि. दुल्हेसिंह जाति सौंधिया नि. कोलीखेड़ा तहसील सुनेल

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार पिड़ावा जिला झालावाड़
2. मनोहर बाई पत्नि नाहर सिंह जाति सौंधिया नि. कोलीखेड़ा तह. सुनेल
3. मांगूबाई पत्नि सज्जनसिंह जाति सौंधिया नि. कोलीखेड़ा तहसील सुनेल
4. राजा बाई पत्नि विजय सिंह जाति सौंधिया नि. कोलीखेड़ा तहसील सुनेल
5. सोहन बाई पत्नि शिवलाल जाति सौंधिया नि. कोलीखेड़ा तहसील सुनेल
6. ग्यारसीराम आत्मज पृथ्वीलाल जाति दांगी नि. सिलोदी तहसील पिड़ावा
7. राधेश्याम आत्मज गंगाराम जाति दांगी नि. सिलोदी तहसील पिड़ावा

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट</u>

उपस्थिति :–
वकील प्रार्थी :– श्री ईश्वरसिंह
अप्रार्थी सं. 1 :– पैरोकार सरकार
अप्रार्थी सं. 2 से 7 :– श्री मुकेश कुमार बगेरिया

आदेश दिनांक : 24.12.2024

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि यह कि यह कि नकल जमाबंदी कोलवी तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.) संवत 2074–77 में स्थित भूमि के खाता संख्या 260 में वर्णित खसरा सं. 330 क्षेत्रफल 3. 6927 है. भूमि स्थित है जिसमें खातेदारान का निम्नानुसार हिस्सा दर्ज है–

ग्यारसीराम आत्मज पृथ्वीलाल का हिस्सा 1 / 6
नारायणसिंह आत्मज दुल्हेसिंह का हिस्सा 1 / 6
मनोहर बाई पत्नि नाहरसिंह का हिस्सा 1
मांगूबाई पत्नि सज्जन
राजा बाई पत्नि विजय
राधेश्याम आत्मज गंगाराम का हिस्सा 1 /

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:14:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * पिड़ावा जिला झालावाड़ *

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

सुल्तान सिंह पुत्र दुल्हे सिंह का हिस्सा 1/6

सोहन बाई पत्नि शिवलाल का हिस्सा 1/24

यह कि प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 1 में वर्णित जमाबंदी के खसरा सं. 330 रकबा 3.6927 हे. का विभाजन उसके खातेदारान के समक्ष दर्ज हिस्से के अनुसार ही विभाजन श्रीमान तहसीलदार पिड़ावा को करना था उनके द्वारा जो विभाजन दिनांक 22.09.2022 को किया गया जिसके अनुसार अशुद्धि/गलती व सही विवरण का विवेचन निम्नानुसार है–

(अ) खसरा सं. 330 रकबा 3.6927 हेक्टर भूमि का बंटवारा किया जाकर ग्यारसीराम आत्मज परथीलाल हिस्सा 1/6 रकबा 0.6154 हे.दर्ज किया जो सही है।

(ब) खसरा सं. 330 रकबा 3.6927 हेक्टर भूमि का बंटवारा किया

मनोहर बाई पत्नि नाहरसिंह का हिस्सा 1/24

मांगूबाई पत्नि सज्जनसिंह का हिस्सा 1/24

राजा बाई पत्नि विजय सिंह का हिस्सा 1/24

सोहन बाई पत्नि शिवलाल का हिस्सा 1/24

को खसरा सं. 330 का उपनंबर खसरा 330/1 बनाकर इन चारों को रकबा 1.2309 हे.दर्ज किया जो गलत है। उक्त चारों खातेदारों का खसरा सं. 330 रकबा 3.6927 हेक्टर भूमि में प्रत्येक का 1/24–1/24, कुल 1/6 हिस्सा होकर 0.6154 हे. आराजी उनके हिस्से में आती है। उक्त चारों खातेदारान को खसरा सं. 330 का उपनंबर खसरा 330/1 बनाकर रकबा 0.6154 हे. दर्ज किया जाना चाहिए था किंतु गणितीय गणना मे त्रुटि होने, गलती होने से इन्हे रकबा 1.2309 हे. दर्ज किया गया जो गलत है तथा शुद्धि का मोहताज है।

(स) खसरा सं. 330 रकबा 3.6927 हेक्टर भूमि का बँटवारा किया जाकर

नारायणसिह आत्मज दुल्हेसिंह का हिस्सा 1/6

सुल्तान सिंह पुत्र दुल्हे सिंह का हिस्सा 1/6

को खसरा सं. 330 का उपनंबर खसरा 330/2 बनाकर इन दोनों को रकबा 0.6154 है. दर्ज किया जो गलत है। उक्त दोनों खा[illegible] खसरा सं. 330 रकबा 3.6927 हेक्टर भूमि में 1/6–1/6 कुल 1/3 हि[illegible] होकर, 1.2309 हे. आराजी उनके हिस्से में आती है। उक्त दोनों खातेदारान को खसरा सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:14:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

330 का उपनंबर खसरा 330/2 बनाकर रकबा 1.2309 हे. दर्ज किया जाना चाहिए था किंतु गणितीय गणना मे त्रुटि होने, गलती होने से इन्हे रकबा 0.6154 हे. दर्ज किया गया जो गलत है तथा शुद्धि का मोहताज है।

(द) खसरा सं. 330 रकबा 3.6927 हेक्टर भूमि का बँटवारा किया जाकर राधेश्याम आत्मज गंगाराम का हिस्सा 1/3 को रकबा 1.2309 हे. दर्ज किया जो सही है।

तहसीलदार पिड़ावा द्वारा कारित गणितीय अशुद्धि/गलती दिनांक 22.09.2022 का प्रार्थीगण को पता चलने पर हल्का पटवारी से राजस्व अभिलेख की प्रतियां प्राप्त की व प्रार्थीगण ने न्यायालय सिविल न्यायाधीश पिड़ावा में दिनांक 11.08.2023 को वाद पेश कर उक्त अशुद्ध बंटवारे को निरस्त करने का अनुतोष चाहा जिस पर न्यायालय सिविल न्यायाधीश पिड़ावा द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 207 के प्रावधानों के तहत प्रकरण की सुनवाई राजस्व न्यायालय में निहित होना मानकर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने बाबत दिनांक 05.12.2023 को आदेश पारित किया. जिसके अनुसरण में न्यायालय द्वारा प्रकरण की पत्रावली दिनांक 08.01.2024 को वादीगण के अधिवक्ता को लौटाई तदनुसार वादीगण ने न्यायालय जिला कलेक्टर झालावाड़ में अपील विरूद्ध बंटवारा आदेश तहसीलदार पिड़ावा दिनांक 22.09.2022 अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश की। जिस पर न्यायालय जिला कलेक्टर झालावाड द्वारा दिनांक 03.07.2024 को अपील का निस्तारण करते हुए, प्रथम दृश्ट्या तहसीलदार पिड़ावा की गणितीय त्रुटि मानते हुए भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत शुद्धिकरण हेतु सक्षम न्यायालय में प्रकरण पेश कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया है। तदनुसार प्रार्थना पत्र पेश है। यह कि अप्रार्थीगण 6 व 7 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा है। यह कि प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होकर उचित कोर्ट फीस पर अंदर मियाद पेश है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 2 के विवेचन अनुसार ग्राम कोलवी तहसील पिड़ावा की खाता सं. 260 खसरा सं. 330 रकबा 3.6927 हेक्टर भूमि का बंटवारा आदेश तहसीलदार पिड़ावा दिनांक 22.09.2022 में शुद्धिकरण द्वारा प्रार्थीगण को [illegible] सं. 330 [illegible] खसरा 330/2

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:14:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(5)

बनाकर रकबा 1.2309 हे. तथा अप्रार्थीगण 25 को खसरा सं. 330 का उपनंबर खसरा 330/1 बनाकर रकबा 0.6154 हे. दर्ज किया जावें। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में ईन्द्राज दुरुस्ती की जाकर भू नक्शे में तरमीम शुद्धि किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर अप्रार्थी सं. 2 लगायत 7 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र का पैरा नं. 1 रेकार्डेड है तथा स्वीकार हैं। यह कि प्रार्थना–पत्र थी मद स. 2 तथा उपमद अ. ब, स, द में वर्णित समस्त विवरण सही एवं सत्य हैं और स्वीकार हैं। यह कि प्रार्थना–पत्र का पैरा नं. 3 सही है तथा स्वीकार हैं। यह कि प्रार्थना–पत्र का पैरा नं. 4 जवाब का मोहताज नहीं हैं। यह कि प्रार्थना–पत्र का पैरा सं. 5 कानूनी होने से जवाब का मोहताज नहीं हैं एवं प्रार्थना सही है तथा स्वीकार है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तद्नुसार इन्द्राज दुरुस्ती किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

3. पैरोकार सरकार की तलवी जर्ये सम्मन की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र क्र. भू.अ./2024/1810 दिनांक 15.10.2024 को पेश किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पेश जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा एल. आर एक्ट 136 में वाद प्रस्तुत किया है प्रस्तुत वाद की जाँच करने पर पाया गया है। कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय जिला कलेक्टर महोदय झालावाड में बटवारा निरस्त करवाने के लिये वाद दायर किया गया न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड द्वारा दिनांक 03.07.2024 को अपील का निस्तारण करते हुऐ प्रथम दृष्टया तहसीलदार पिडावा की गणीतीय त्रुटि मानते हुये भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत शुद्धिकरण हतु सक्षम न्यायालय में प्रकरण पेश कर अनुतोष प्राप्त करने के लिये निर्देशित किया। बटवारे से पुर्व खातेदारी का खाता न० 260 खसरा न० 330 रकबा 3.6927 है० हिस्सा अनुसार निम्न रकबा बनता है।

1. मनोहरबाई पत्नी नाहरसिहँ हिस्सा 1/24 रकबा 0.1538 हे0
2. मागुबाई पत्नी सज्जनसिहँ हिस्सा 1/24 रकबा 0.15380 हे0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:14:00 IST
Reason: SelfAttested

नारायणसिंह

Scanned with OKEN Scanner

(6)

3. राजाबाई पत्नी विजयसिंह हिस्सा 1/24 रकबा 0.153880 है०
4. सोहनबाई पत्नी शिवलाल हिस्सा 1/24 रकबा 0.153880 है०
5. राधेश्याम पुत्र गंगाराम हिस्सा 1/3 रकबा 1.23090 है०
6. प्यारसीराम पुत्र परथीलाल हिस्सा 1/6 रकबा 0.6154 है०
7. नारायणसिंह पुत्र दुल्लेसिंह हिस्सा 1/6 रकबा 0.6154 है०
8. सुल्तानसिंह पुत्र दुल्लेसिंह हिस्सा 1/6 रकबा 0.6154 है०

प्रार्थीया द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील पिडावा के समस्त उपस्थित होकर सहमति बंटवारा 22.09.2022 को दर्ज करवाया जिसका नामान्तकरण नामा० सं० 1034 दिनांक 31.10.2022 को तस्दीक हुआ जिसका अमल दरामद राजस्व रिकार्ड वर्तमान जमाबन्दी व नक्शा लट्ठा में किया जा चुका है। प्रार्थी सहमति बटवारे में पुर्व में जमाबन्दी में दर्ज हिस्सा अनुसार ही जो रकबा बनता है। उसके अनुसार ही प्रार्थी वर्तमान जमाबन्दी में रकबा शुद्ध करवाना चाहते है जो सम्भव नहीं हैं अग्रिम कार्यवाही बाद जाँच रिर्पोट सादर प्रेषित है।

4. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में तहसीलदार पिडावा के सहमति बंटवारा आदेश दिनांक 22.09.2022 की प्रमाणित प्रति, ग्राम कोल्वी के नामा.सं. 1034 दिनांक 29.10.2022 की प्रमाणित प्रति, ग्राम कोल्वी के खाता सं. 260, 300, 298, 299 जमाबंदी सं. 2074–77 की नकले, श्रीमान जिला कलक्टर महोदय झालावाड का आदेश दिनांक 03.07.2024, माननीय सिविल न्यायाधीश पिडावा की आदेशिका दिनांक 05.12.2023 की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की।

5. अप्रार्थी सं. 1 पेरोकार सरकार की ओर से पटवारी हल्का खारपाकलां की रिपोर्ट, बंटवारा प्रपत्र दिनांक 22.09.2022 की छायाप्रति, ग्राम कोल्वी का नामा.सं. 1034 दिनांक 29.10.2022, ग्राम कोल्वी की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 298, 299, 300, 260 की नकल छायाप्रति पेश की।

6. अभिभाषक प्रार्थीगण एवं पैराकार सरकार [illegible] सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में [illegible] बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम [illegible] पिडावा की खाता सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:14:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

260 के ख.नं. 330 रकबा 3.6927 है. भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा 1/6–1/6, अप्रार्थीगण 2 से 5 का हिस्सा 1/24–1/24, अप्रार्थी सं. 6 का हिस्सा 1/6 एवं अप्रार्थी सं. 7 का हिस्सा 1/3 दर्ज रिकार्ड था। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण द्वारा आपसी सहमति से खाता विभाजन हेतु श्रीमान तहसीलदार पिडावा के न्यायालय में आवेदन किया गया तो श्रीमान तहसीलदार पिडावा के आदेश कमांक 188 दिनांक 22.09.2022 से सहमति खाता बंटवारा हुआ जिसमें प्रार्थीगण के खाते व हिस्से ख.नं. 330/2 रकबा 0.6154 है. एवं अप्रार्थी सं. 2 से 5 के खाते व हिस्से ख.नं. 330/1 रकबा 1.2309 है. दर्ज करने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश में तहसीलदार पिडावा ने लिपीकीय/टाईपिग भूल की वजह से प्रार्थीगण के हिस्से का रकबा 1.2309 है. की जगह 0.6154 है. एवं अप्रार्थी सं. 2 से 5 के हिस्से का रकबा 0.6154 है. की जगह 1.2309 है. दर्ज कर दिया गया। उक्त त्रुटी लिपीकीय त्रुटी है जिसका अप्रार्थी सं. 2 से 7 के साथ साथ पेरोकार सरकार को भी कोई आपत्ति नहीं है। अतः राजस्व कार्मिको द्वारा सहमति बंटवारे के दौरान की गई त्रुटी को दुरूस्त किया जाकर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जावे।

7. पैरोकार सरकार द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम कोल्वी के खाता सं. 260 के ख.नं. 330 रकबा 3.6927 है. का सहमति बंटवारा करते समय भूलवश प्रार्थीगण के खाते व हिस्से ख.नं. 330/2 रकबा 0.6154 है. एवं अप्रार्थी सं. 2 से 5 के खाते व हिस्से ख.नं. 330/1 रकबा 1.2309 है. दर्ज करने के आदेश दिये जारी कर दिये गये जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना उचित होगा।

8. अभिभाषक प्राथीगण एवं पैराकार सरकार की सहमति बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय तहसीलदार पिडावा के सहमति बंटवारा आदेश क. 188 दिनांक 22.09.2022 अन्तर्गत धारा 53(2)(i) आर.टीएक्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम कोल्वी पटवार हल्का खारपाकलां का तत्कालीन खाता सं. 260 ख.नं. 330 रकबा 3.6927 है. प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी जिसमें प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:14:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

का हिस्सा 1/6–1/6, अप्रार्थीगण 2 से 5 का हिस्सा 1/24–1/24, अप्रार्थी सं. 6 का हिस्सा 1/6 एवं अप्रार्थी सं. 7 का हिस्सा 1/3 दर्ज रिकार्ड था। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण द्वारा आपसी सहमति से खाता विभाजन हेतु श्रीमान तहसीलदार पिडावा के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 53(2)(i) आर.टी.एक्ट आवेदन किया गया तो श्रीमान तहसीलदार पिडावा के आदेश क्रमांक 188 दिनांक 22.09.2022 से **अन्तर्गत धारा 53(2)(i) आर.टी.एक्ट सहमति** खाता बंटवारा हुआ जिसमें प्रार्थीगण के खाते व हिस्से ख.नं. 330/2 रकबा 0.6154 है. एवं अप्रार्थी सं. 2 से 5 के खाते व हिस्से ख.नं. 330/1 रकबा 1.2309 है. दर्ज करने के आदेश दिये गये। उक्त बंटवारा आदेश कानूनन रूप से गलत है। वादग्रस्त आराजी मूल ख.नं. 330 में प्रार्थीगण का हिस्सा 1/6–1/6 यानि कुल 1/3 भाग था। कुल रकबा 3.6927 है. का 1/3 हिस्सा 1.2309 है. बनता है। इसी प्रकार मूल ख.नं. 330 में अप्रार्थी सं. 2 से 5 का 1/24–1/24 यानि कुल 1/6 हिस्सा दर्ज था अतः कुल रकबा 3.6927 है. में अप्रार्थी सं. 2 से 5 का रकबा 0.6154 है. बनता है। सहमति बंटवारा आदेश **अन्तर्गत धारा 53(2)(i) आर.टी.एक्ट** में हल्का पटवारी द्वारा हिस्से व रकबे का अंकन करते समय यह त्रुटी की है जो सम्भवतः मानवीय भूल है। वादग्रस्त आराजी वादग्रस्त आराजी की हाल जमाबंदियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार पिडावा के न्यायालय के बंटवारा आदेश की पालना में राजस्व कार्मिको द्वारा नामान्तरण दर्ज करने में कोई त्रुटी नहीं की है। बंटवारा आदेश के अनुसार ही नामान्तरण तस्दीक किया गया है। पक्षकारो के मध्य आपसी सहमति से हुए किसी भी **न्यायालय के निर्णय/अवार्ड/पंचाट** की अपील नहीं की जा सकती है और न ही कोई अन्य सक्षम न्यायालय ऐसे राजीनामें से हुए आदेश/अवार्ड/पंचाट के विरूद्ध अपील या रिव्यु या रिवीजन सुन सकता है। **आदेश 23 नियम 3ए** सीपीसी के प्रावधानो के अनुसार राजीनामें से हुए आदेश/अवार्ड/पंचाट के विरूद्ध वाद या अपील दायर नहीं की जा सकती बल्कि एक मात्र उपाय राजीनामा आदेश/अवार्ड/पंचाट जारी करने वाले न्यायालय के समक्ष रिकाल प्रार्थना पत्र दायर करना है। प्रार्थीगण को न्यायालय तहसीलदार पिडावा के समक्ष उक्त राजीनामा आदेश में हुई लिपिकीय त्रुटी की दुरुस्ती हेतु रिकाल प्रार्थना पत्र दायर किया जाना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:14:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

9. आदेश 23 नियम 3 सीपीसी के प्रावधानो का अवलोकन निम्नानुसार है – Order XXIII Rule 3. Compromise of suit.

"Where it is proved to the satisfaction of the Court that a suit has been adjusted wholly or in part by any lawful agreement or compromise in writing and signed by the parties or where the defendant satisfied the plaintiff in respect of the whole or any part of the subject-matter of the suit, the Court shall order such agreement, compromise satisfaction to be recorded, and shall pass a decree is accordance therewith so far as it relates to the parties to the suit, whether or not the subject-matter of the agreement, compromise or satisfaction is the same as the subject-matter of the suit"

इसी प्रकार आदेश 23 नियम 3 ए सीपीसी के प्रावधान निम्नानुसार है – **Order XXIII Rule 3A** - **Bar to suit** :- "No suit shall lie to set aside a decree on the ground that the compromise on which the decree is based was not lawful.

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने दिसंबर 2024 में राजस्थान उच्च न्यायालय के उस निर्णय के विरूद्ध दायर अपील पर सुनवाई के दौरान, जिसमें आदेश 23 नियम 3 सीपीसी के अनुसार पक्षो के बिच दर्ज किये गये समझोते को चुनौती देने वाली समझौता कार्यवाही को बहाल करने की मांग करने वाली रिकॉल ऐप्लीकेशन को हाई कोर्ट ने यह कहते हुए खारीज कर दिया कि समझौता दर्ज करने से अपील को बहाल करने की स्वतंत्रता नही है– इस बात पर जोर दिया कि समझौता डिकी के विरूद्ध एक मात्र उपाय समझौता दर्ज करने वाली अदालत के समक्ष पुनः आवेदन करना है क्युकि सीपीसी स्पष्ट रूप से समझौता डिकी को चुनौती देने के लिए अपील या नया मुकदमा दायर करने में रोक लगाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:14:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

(10)

11. **धारा 53(2)(i) आर.टी.एक्ट** में पक्षो की सहमती से हुये बंटवारे आदेश/पंचाट में हुई त्रुटि को दुरस्त करने का प्रावधान धारा 136, 131 एलआर एक्ट के अधीन नही है। प्रार्थीगण के बंटवारा समझौते को दर्ज करने वाले न्यायालय तहसीलदार पिडावा के समक्ष रिकॉल प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर नियमानुसार रकबा दुरस्ती किया जाना उचित होगा।

12. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम कोल्वी पटवार हल्का खारपाकलॉ तहसील पिडावा के खाता सं0 260 के मूल खसरा नं0 330 के सहमती बंटवारा आदेश में दुरस्ती के संबंध में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एलआरएक्ट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

—::**क्रियात्मक आदेश**::—

उपरोक्त विवेचन व विष्लेषण के आधार पर ग्राम कोल्वी पटवार हल्का खारपाकलॉ तहसील पिडावा के खाता सं0 260 के मूल खसरा नं0 330 के सहमती बंटवारा आदेश में दुरस्ती के संबंध में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एलआरएक्ट खारिज किया जाता है प्रार्थीगण के समझौते को दर्ज करने वाले न्यायालय तहसीलदार पिडावा के समक्ष दुरस्ती हेतु रिकॉल प्रार्थना पत्र दायर करने के लिए स्वतंत्र है।

यह निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/12/24

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिडावा
जिला झालावाड राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:14:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner